रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

# इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 46 ● अंक – 17 ● कानपुर 1 से 15 सितम्बर 2024 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

## इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शीर्ष संस्थानों का रुझान अब फार्मेसी की ओर

## बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन EH डा0 एम0एच0 इदरीसी ने की प्रथम सेशन की अध्यक्षता

## B.E.H.M.U.P के चेयरमैन EH डा0 एम0एच0 इदरीसी Life Time Achievement Award से हुये सम्मानित

# काउण्ट मैटी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फोरम पश्चिम बंगाल ने की पहल

नेशनल वर्कशॉप ऑन इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मसी का आयोजन जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में **Bio equivalance Study Centre** में बड़े हर्षोल्लास पूर्वक आयोजित किया गया वर्क शॉप के उदघाटन का शुभारम्भ काउण्ट मैटी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फोरम के अध्यक्ष डा0 ए0 पी0 मौर्या द्वारा किया गया, डा0 मौर्या ने वर्कशॉप के उद्देश्यों एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुये बताया कि आज भारत वर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिस स्थान पर आ गयी है वह दिन दूर नहीं जब हमारे चिकित्सकों को औषधियों की बड़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ जायेगी वर्तमान में मुट्ठी भर औषधियों के निर्माताओं द्वारा पूर्ति करना असम्भव हो जायेगा आवश्यकता ही अविष्कार की जन्नी होती है यह कहावत चरितार्थ साबित हो रही है आने वाले समय की आवश्यकता इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों की है हम कब तक दूसरों के सहारे रहेंगे, अब ज़रुरत है हमारे स्वयं के फोर्मेसी की, इसके लिये हमें विश्व स्तरीय प्रयोगशाला बनानी होगी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों का पूरा निर्माण हमें अपने देश में ही करना होगा साथ ही हमारी विश्व स्तरीय फार्मेसी ऐसी होनी चाहिये जो निमार्ण के क्षेत्र में किसी भी अन्य फार्मेसी की तुलना मे कम न हो, हमें न सिर्फ़ निर्माण करना होगा अपितु स्वयं इन औषधियों का एक्सपोर्ट भी करने का लक्ष्य लेकर चलना होगा तभी हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पायेंगे, इस अवसर पर डा0 मौर्या ने स्पैजिरिक निर्माण विधि के साथ ही प्रयोगशाला में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों का चार्ट के माध्यम से प्रदर्शन भी किया, इस अवसर पर डा0 इदरीसी ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों को सुरक्षा, प्रभाविकता एवं गुणवत्तायुक्त होना चाहिये इसके लिये हमने पहले ही जिस फार्माकोपिया को अंगीकार किया है उसे **IDC** को भी संदर्भित किया है, यह फार्माकोपिया अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मानकयुक्त है, हमारा आशय जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया से है इस फार्माकोपिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि निर्माण विधि अर्थात स्पैजिरिक समाहित है, इस फार्माकोपिया से स्पैजिरिक निर्माण विधि को संकलित कर स्वतंत्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधि के लिये प्रयोग में ला सकते हैं जिससे औषधि की सुरक्षा, प्रभाविकता एवं गुणवत्ता के जितने भी मापदंण्ड हैं पूर्ण किये जा सकते हैं, इस प्रकार हम एक आदर्श इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फार्माकोपिया का निर्माण भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रुप से डा0 कमला कान्त नायक–ओडीशा, डा0 नरेन पाण्डेय, प्रोफेसर डा0 एम0 ए0 परवेज कोलकाता यूनानी कालेज, डा0 बी0 के0 सिंह–गुजरात,डा0 राज कुमार प्रसाद–जमशेदपुर, डा0 नरेन्द्र प्रसाद सिंह, डा0 सरोज साहू–ओडीशा आदि ने प्रमुःख रुप से भाग लिया और अपने–अपने अनुभवों को साझा किया, कार्यक्रम दो सेशन में आयोजित किया गया, बीच में भोजन अवकाश का पर्याप्त समय भी लोगों को मिला, जिसका सभी लोगों ने लाभ उठा कर एक दूसरे से अपने विचार साझा किये कार्यक्रम निर्धारित समय से देर तक चला, कार्यक्रम को कैमरे की नज़र से पेज 3 पर प्रकाशित किया गया है.....

उत्तर प्रदेश की भाँति पश्चिम बंगाल में भी सरकार को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये शासनादेश कर देना चाहिये– इदरीसी (छाया गज़ट)

# उचित समय

*यह कटु सत्य है कि 2003 से 2012 तक का काल खण्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये बहुत कठिन रहा है लेकिन जिस सूझ–बूझ से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नायकों नें इस चिकित्सा पद्धति को कार्य करने का एक अवसर दिलाया है वह सराहनीय है, समय बड़ा बलवान होता है, समय कब किस ओर करवट ले ले कहा नहीं जा सकता है समय का ही कमाल है कि आज से 30–35 वर्ष पूर्व आज के बड़े बड़े दिग्गज लोग अपने आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक कहने से भी परहेज़ किया करते थे वे आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी का गुणगान करने में तनिक भी परहेज़ नहीं करते हैं, इसे समय की बलिहारी ही कहेंगे कि अब यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समान रूप से स्थापित करना है तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कार्य होना चाहिये हमारे पास जो हज़ारों की संख्या है उन्हें अपने दायित्वों को समझना होगा और दायित्वों का पालन करते हुये एक नई कार्य पद्धति को जन्म देना होगा, यदि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में विकास की बात करें तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि चिकित्सा पद्धति का विकास नहीं हुआ है, लेकिन जो संतुलित और समन्वित वास्तविक विकास होना चाहिये वह नहीं हो सका है।*

*आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविकता को देखते हुये इसे चिकित्सा जगत की नई क्रान्ति माना जा रहा है वर्तमान में जो स्थति है वह किसी से छुपी नहीं है, पंश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित जादवपुर राज्य विश्वविद्यालय के Bioequivalence में नेशनल वर्कशॉप ऑन इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी का आयोजन विश्वविद्यालय के सहयोग से काउण्ट मैटी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फोरम द्वारा किया गया, जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी से भिन्न देश के नामचीन वैज्ञानिक एवं चिकित्सक उपस्थित हुये जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जानने के प्रयास के साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का मार्ग प्रश्स्त करने के अनेक सुझाव भी दिये, इस अवसर पर डा0 अनिर्बन दीप बोस एसोशिएट प्रोफेसर डिपार्टमेन्ट ऑफ़ फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी, एडमास युनिवर्सटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संदर्भ में क्लीनिकल ट्रायल के साथ–साथ न्यु ड्रग पॉलिसी के संदर्भ में भी विस्तृत रुप से जानकारी दी, उन्होंने बताया कि इन प्रयोगों के बिना किसी नई औषधि को प्रयोग करने की अनुमति सम्भव नहीं है, उन्होंने ग्राफ़ एवं चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास भी किया, उनके द्वारा जो कुछ भी बताया जा रहा था वह इलेक्ट्रो होम्योपैथ के कुछ एक को छोड़कर नया ही था जबकि बड़ी संख्या में इस आयोजन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के औषधि निर्माता उपस्थित थे।*

*डा0 सनमोय कर्मकार डायरेक्टर जादवपुर राज्य विश्वविद्यालय के Bioequivalence Study Centre ने Safety and Efficacy of Herbal Medicine पर अपना विस्तृत व्याख्यान दिया उन्होंने Herbal Medicine (Electro Homoeo-pathy) के विषय में विशेष Tips भी बताये, डा0 सनमोय कर्मकार की विशेष रुचि के कारण ही यह आयोजन जादवपुर यनिवर्सटी में सम्भव हो सका*

*होम्योपैथी का विकास एवं विस्तार कलकत्ता आज जिसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है से हुआ होम्योपैथी का विस्तार करने के लिये अनेक चिकित्सकों ने अपना बहुमूल्य समय व सेवायें दी हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है जिसमें डा0 बनर्जी, डा0 बोस, डा0 चटर्जी डा0 भट्टाचार्या का नाम पंश्चिम बंगाल में आज भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है।*

*समय अपने आप को दोहराता है देखिये कैसे समय ने करवट ली जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी उत्तर प्रदेश में प्रफुलित–पल्लवित हो रही थी पश्चिम बंगाल के चिकित्सकों ने कैसे इलेक्ट्रो होम्यापैथी को अपने पास खींच लिया जो कार्य उ0प्र0 में होना चाहिये था वह वेस्ट बैंगॉल पहुंच गया, वास्तविकता तो यह है कि जो पश्चिम बंगाल के चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हैं वे मूल रुप से उत्तर प्रदेश से ही हैं और सारे देश में उत्तर प्रदेश के ही लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विस्तार कर रहे हैं।*

# कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं ?

कभी कभी एक छोटी सी गलती बहुत गलत परिणाम दे जाती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लोग लगातार ऐसे ही कार्य कर रहे हैं जो कि कहीं न कहीं से गलतियों की श्रेणी में आते हैं इसका जीता जागता उदाहरण है कि यह सर्वविदित है कि चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति को जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना है उसे उसी राज्य में अपनी परिषद में पंजीकरण कराना होता है और पंजीकरण के बाद उस राज्य के प्रचलित कानूनों का पालन करते हुए ही कार्य करना पड़ता है लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कुछ ऐसे कार्य किये जा रहे हैं जो स्वीकारणीय नहीं हैं बहुत सारी ऐसी संस्थायें हैं जो अपना मुख्यालय और कार्य क्षेत्र दिल्ली बताते हैं प्रमाण पत्र भी केन्द्रीय देते हैं और चिकित्सक से कहते हैं कि आप पूरे देश में प्रैक्टिस कर सकते हैं।

गलती गलती ही होती है छोटी हो या फिर बड़ी, अक्सर लोग यह कहते हैं कि अरे छोड़ें भी ! यह तो छोटी सी गलती है लेकिन जो लोग छोटी गलती को नज़रन्दाज़ करते हैं उन्हें अपनी गलती की वास्तविकता का एहसास नहीं होता है।

अपनी बात को सिद्ध करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी देते हैं सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश किन परिस्थितियों में हुआ इसका अन्दाज़ा हमारे सीधे – सादे चिकित्सक को नहीं होता है और वह भ्रमजाल से बाहर नहीं निकल पाता है परिणामतः उसे प्रैक्टिस के दरम्यान कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यह किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में भिन्न–भिन्न प्रकार के भ्रम फैलाये जाते हैं उत्तर प्रदेश में कार्य करने के लिए एक न्यायालीय आदेश के पालन में सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले हर चिकित्सक को निश्चित अर्हता के साथ अपने परिषद में पंजीयन के साथ–साथ जिस जनपद में चिकित्सा व्यवसाय करना है उस जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीयन के लिए आवेदन करना आवश्यक था।

शासनादेश संख्या 1297/71– आयुष–1 – 2016 –डब्लू–283/2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 के अनुसार वर्तमान में उ0प्र0 सरकार ने पंजीयन की नई व्यवस्था लागू की है, नई व्यवस्था के अनुसार अब एलोपैथिक चिकित्सकों का जिला पंजीयन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में होता है, शेष चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु इस प्रकार से पंजीयन होता है:–

1– आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों का पंजीयन ज़िले के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी कार्यालय होते हैं इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक /यूनानी अधिकारी के कार्यालय में ज़िला पंजीयन हेतु आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सक ज़िले में चिकित्सा व्यवसाय हेतु आवेदन करते हैं।

2– होम्योपैथिक पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु होम्योपैथक चिकित्सक ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी के कार्यालय (जिसे **D.H.O.** के नाम से भी जाना जाता है) में कराना पड़ता है।

3– इसी प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों को अपनी परिषद से पंजीयन कराकर अपने जनपद के बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के अधिकृत ज़िला प्रभारी के कार्यालय में पंजीयन कराना आवश्यक है, जिन ज़िलों में ज़िला प्रभारी कार्यालय नहीं हैं वहां के चिकित्सकों को सीधे क्षेत्रीय कार्यालय में अपने पंजीयन का आवेदन करना होता है, यदि हम ज़िला पंजीयन कराने से कतरायेंगे तो आप स्वंय गलती कर रहे हैं।

जो लोग यह कहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सरकार ने मान्यता प्रदान नहीं की है उनके लिये ऐसे समझाया जा सकता है कि प्रदेश में नियम है कि दो पहिया वाहन चलाने के लिए हेल्मेट लगाना आवश्यक है अब यह हर वाहन चालक का दायित्व है कि इस नियम का पालन करे जो आदमी इस नियम का पालन नहीं करता है चेकिंग के दौरान उसका चालान हो जाता है ठीक इसी प्रकार से जब कभी भी कोई सक्षम अधिकारी किसी चिकित्सक की जांच करता है तो वह हर बिन्दु पर जांच करते हुए यह अवश्य पूछता है कि क्या आपने अपना ज़िला पंजीयन कराया है ? इसका जवाब यदि हाँ में देते हैं तो हाँ की पुष्टि के लिए आवश्यक प्रपत्र दिखाने पड़ते हैं और यदि आप जवाब न में देते हैं तो अधिकारी आपको नोटिस थमा देता है, जिसके कुछ भी परिणाम हो सकते हैं तात्पर्य यह है कि छोटी सी गलती कभी–कभी इतनी गम्भीर परिणाम दे देती है जिनकी कभी भी हमने कल्पना नहीं की होती है, इस प्रकार के केस अक्सर संज्ञान में लाये जाते हैं, हम बार–बार यही प्रयास करते हैं कि हमारा चिकित्सक सजग रहे, जागरूक रहे और अपने अधिकारों के प्रति जानकार भी हो साथ–साथ जो उसका कर्तव्य है उससे वह विलग न हो लेकिन जब एक ही विषय पर कई तरह के विचार आते हैं तो मन में संशय पैदा होना सामान्य सी बात है लेकिन संशयों से काम नही बनता है।

संशय से ऊपर उठकर वास्तविकता को पहचानना होगा और जो ठोस और आवश्यक कार्य हैं वह तो हमें करने ही होंगे, तत्कालिक लाभ के लिए किया हुआ कार्य कभी भी दीर्घकालिक नहीं होता है मात्र सपनों के सहारे जीवन कटता नहीं है जीवन वास्तविकता से ही गुज़ारा जा सकता है आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविकता यह है कि सारे अधिकार होने के उपरान्त भी हम उसका पूरा आनन्द नहीं उठा पा रहे हैं।

जब हमसे अधिकारों की बात करेंगे और अपने कर्तव्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो सफ़लता कभी भी शतप्रतिशत नहीं मिल सकती है कार्य करने के कितने भी रास्ते क्यों न हों लेकिन यदि हमें विश्वास ही नहीं है तो अपेक्षित परिणाम कैसे मिल सकते हैं ? धीरे–धीरे समय बीतता जा रहा है लोगों की धारणायें भी बदलती जा रही हैं अपने आपको ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का समर्थक व साधक सिद्ध करने के लिए जो कार्य किये जा रहे हैं वह उपयोगी नहीं हैं।

आज कल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर समाचार बड़ी तेज़ी के साथ इधर से उधर फैलता है हमारा संचार माध्यम इतना सशक्त और तेज़ है कि सूचनायें पहुंचने में तनिक भी देर नहीं लगती है और लोग बाग उनपर टिप्पणी करने से बाज़ नहीं आते हैं, समय–समय पर परिवर्तन होते रहते हैं यदि हम इन परिवर्तनों को समझ नहीं पाते हैं तो दीर्घकालिक लाभ नहीं उठा सकते हैं, परिस्थितियां बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं कब कहां क्या हो जाये ? यह कोई नहीं जानता ! अभी हाल ही में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा जारी जनपदीय / ज़िला पंजीयन शीघ्र ही 5 वर्ष के लिये जारी किये जायेंगे, इससे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को काफ़ी राहत मिलेगी ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में जनपदीय/ज़िला पंजीयन की मान्य अवधि 1 वर्ष के लिये होती है और हर वर्ष चिकित्सकों को जनपदीय/ज़िला पंजीयन हेतु नवीनीकरण /नया पंजीयन कराना होता है, हर वर्ष चिकित्सक को तमाम संलग्नकों सहित आवेदन बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र के कार्यालय में ज़िला प्रभारी के माध्यम से नवीनीकरण /नये पंजीयन हेतु आवेदन करना पड़ता है अब यह समस्या समाप्त हो जायेगी इस हेतु शीघ्र ही अलग से नोटि–फिकेशन जारी किया जायेगा, राज्य के मुख्यमंत्री ने I.M.A. के प्रतिमण्डल से मिलकर उन्हें यह आशवासन दिया है कि अब 5 वर्ष के लिये पंजियन किया जायेगा।

**कैमरे की नज़र में पेज 1 से आगे**

कैमरा 1—डा0 इदरीसी को सम्मानित करते हुये डा0 मौर्या

कैमरा 2—डा0 सरोज साहू को सम्मानित करते हुये डा0 इदरीसी चेयरमैन – B.E.H.M. U.P.

कैमरा 3—डा0 नरेन पाण्डेय को सम्मानित करते हुये संयुक्त रुप से Dr. M.H.Idrisi एवं Dr. A. P. Maurya

कैमरा 4—Professor Dr. M. A, Pervez को मोमेन्टो देकर सम्मानित करते हुये Dr. M.H.Idrisi साथ मे डा0 कमला कान्त नायक

कैमरा 5—मंच पर विराजमान क्रमशः बांये से दांये डा0 अनिर्बन दीप बोस, डा0 सरमोय कर्माकर, स्वामी जी महाराज एवं अन्त में पदमश्री डा0 जगदीश चन्द्र हलधर

कैमरा 6—डा0 ए0 पी0 मौर्या को सम्मानित होने पर प्रसन्नता की मुद्रा में क्रमशः दांये में डा0 ऋड, डा0 नरेन पाण्डेय, डा0 मौर्या जी के बायें हैं डा0 सरमोय कर्माकर— Director Bioequivalence Study Centre, डा0 बी0 के सिंह व अन्य।

B.M.E.H.Institute जौनपुर के संस्थापक डा0 राम अकबाल मौर्या के 22वीं पुण्य तिथि पर लगाये गये चिकित्सा शिविर में लगभग 1000 रोगियों का परीक्षण कर उन्हें आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का वितरण किया गया, संस्थान द्वारा लगाये गये शिविरों में यह 130वां शिविर था।

शिविर में प्रमुख से डा0 शैलेन्द्र कुमार वर्मा, EH डा0 नदीम हुसैन डा0 संदीप यादव डा0 आर0 के0 चित्रवंशी, डा0 शुभम सिंह, विनय कुमार मौर्या अजय कुमार मौर्या की उपस्थिति प्रशंसनीय रही डा0 प्रमोद कुमार मौर्या ने सभी का आभार व्यक्त किया

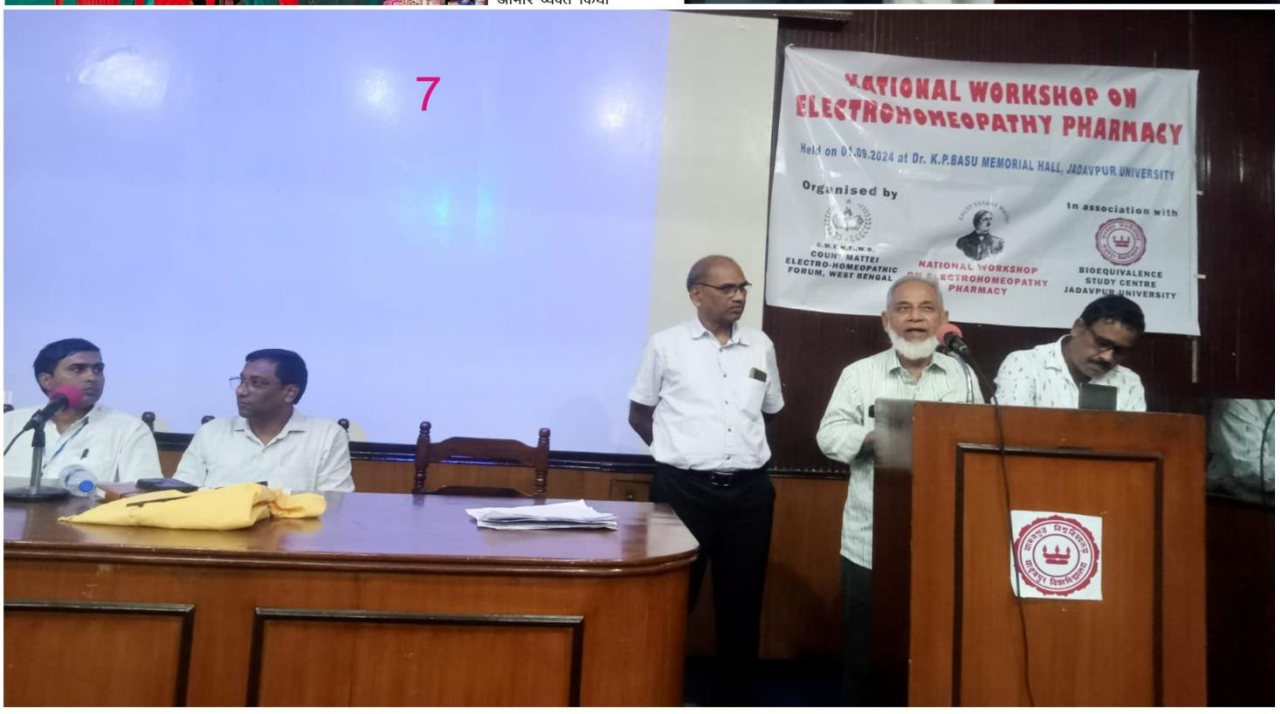


कैमरा 7—मंच पर विराजमान डा0 सीता राम पंडित— बेगूसराय (बिहार) एवं Dr. Saroj Sahu President State Electro Homoeopathic PractitionersAssociation (Odisha) Vice President Joint Proposalist Electro Homoeopathic Committie माईक से ऑडियंस को सम्बोधित करते हुये Dr. M.H.Idrisi Chairman Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P. बांयें Dr. A.P.Maurya

# चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये पंजीयन की आवश्यकता क्यों ?

# इसे जानिये और समझिये

## आपकी योग्यता व पद्धति तय होती है

## चिकित्सकों की श्रेणी में आप चिन्हित हो जाते हैं

## अधिकार पूर्वक क्षमतानुसार प्रैक्टिस निडर होकर करते हैं

# विभिन्न राज्यों में पंजीयन की स्थिति

## उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में अवमाननावाद संख्या 820/2002 में पारित आदेश दिनांक 28–01–2004 के अनुपालन में तथा यू0पी0 क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) रुल्स 2016 एवं 3 अगस्त, 2016 को पारित संशोधित आदेश।

## मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा संस्था नियंत्रण अधिनियम 1973 तेज़ी से प्रभावी हो रहा है।

## दिल्ली प्रदेश

दिल्ली राज्य में दिल्ली मेडिकल काउन्सिल द्वारा एण्टी क्वैक्री कमेटी गठित।

## उत्तराखण्ड एवं हिमांचल

उत्तराखण्ड एवं हिमांचल राज्य में क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट 2010 भारत सरकार प्रभावी हो चुका है।

## महाराष्ट्र

मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा चिक्त्सिकों के पंजीयन हेतु प्रयास ज़ोरों पर चल रहा है, आशा है कि भीघ्र ही प्रकरण में अधिसूचना जारी हो सकती है।

## पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रभावी इसी प्रकार पूरे देश में पंजीयन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है आईये हम सब वैधानिक एवं राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करते हुये यथा संभव पंजीकरण करायें।

# और

## निडर होकर प्रैक्टिस करें

## चिकित्सक अधिकारिता जागरुकता अभियान द्वारा जनहित में प्रसारित

बी0 ई0 एच0 एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–14 से प्रकाशित किया।